न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण स. 192 / 2008
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 13.03.2020

1. दौजी पुत्र घसीडा जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई (मृतक).
   1/1 हरी पुत्र दौजी जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई
   1/2 रामभरोसी पुत्र दौजी जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई
2. मनोहरलाल पुत्र मोती जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई
3. हुक्मसिंह पुत्र मोती जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई
4. परसराम पुत्र मोती जाति माली निवासी नगला डिप्टी पहरसर तहसील नदबई

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
2. डूलामल पुत्र आबतमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 13.03.2020 दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1855 रकवा 0.35 हैक्ट. वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1855 रकवा 0.35 का साबिक ख0न0 1489 रकवा 1 बी. 8 बि. से बना है इस विवादित आराजी के ख0न0 1489 का खैराजमल पुत्र तुरसीमल रिकार्ड काबिज खातेदार काश्तकार था जो लावल्द बिला औरत फौत हो गया था। जिसका एक मात्र वारिस डुलामल पुत्र आबतमल प्रतिवादी स. 2 है। तथा उसकी खातेदारी का नामान्तकरण डुलामल पुत्र आबतमल के नाम दर्ज की गई तथा रिकार्ड में डुलामल पुत्र

Scanned with CamScanner

आबतमल की खातेदारी अंकत हो गई तथा डूलामल ने दिनांक 31.12.1974 को उक्त विवादित आराजी का विक्रय रजिस्टर्ड वादी स. 1 तथा वादीगण स. 2 लगायत 4 के पिता मोती को विक्रय कर दिया तभी से वादीगण खातेदारी की हैसियत से आज तक काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार से वादीगण उक्त विवादित आराजी पर वादी स. 1 तथा वादीगण स. 2 लगायत 4 सयुक्त वा हिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा रिकार्ड में डूलामल पुत्र आबतमल प्रतिवादी स. 2 के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राजात को कैन्सिल कराकर वादीगण उक्त तरीके से खातेदारी के इन्द्राजात करवाने के अधिकारी है।

4. यह है कि रिकार्ड में विवादित आराजी पर खातेदारी डूलामल पुत्र आबतमल की अंकित होने के कारण तथा प्रतिवादी स. 2 का ही पता न होने के कारण हल्का पटवारी ने मुझ वादी के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार कर दिया जबकि पूर्व में एक खसरा नम्बर का अमल रिकार्ड में हम वादीगण के हक मे हो चुका है। तथा विवादित आराजी का नामन्तकरण गलती से हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नही किया गया है इसकी जानकारी होने पर हम वादीगण ने दिनांक 27.09.2007 को हल्का पटवारी से उक्त विवादित आराजी का नामन्तकरण दर्ज कराने ने कहा तो हल्का पटवारी ने स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि न्यायालय श्रीमान से दावा पेश कर आदेश कराने पर ही खातेदारी दर्ज की जावेगी तथा उन्होने विवादित आराजी पर अपना कब्जा करने कि धमकी दी है। तथा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है यदि प्रतिवादी उक्त धमकी में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अजीम क्षती होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी । हम वादीगण को विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करने हु हुक्मइम्तनाई डिकी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

5. यह है कि विवादित आराजी का विकेता डूलामल पुत्र आबतमल जाति सिंधी निवासी पहरसार प्रतिवादी स. 2 है परन्तु प्रतिवादी स. 2 ग्राम पहरसार में इस समय नही रह रहा है तथा उसका कही अता पता भी नही है। तथा विवादित आराजी रिकार्ड में खातेदारी का अंकन है। इसलिए राज. सरकार जो लैण्ड होल्डर है उसको पक्षकार बनाया गया है हालांकि उससे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही गयी है।

6. यह है कि केता मोती जो वादीगण स. 2 लगायत 4 का पिता था उसकी मृत्यु दिनांक 01.02. 1999 को हो चुकी है। जिसके हम वादीगण स. 2 लगायत 4 पुत्र है। तथा उनकी तीन पुत्रीया मु. रामदुलारी, सफेदी , बफी है। जिनको अपने हिस्से की आराजी को हम वादीगण के हक में एक रिलीज दिनांक 10.11.2000 का तहरीर करा दी है। तथा वादीगण की मां मंगली बेवा मोती की मृत्यु हो चुकी है। तथा वह भी हम वादीगण के हक में रिलीज तहरीर करा चुकी है। इसलिए मृतक मोती जो विवादित आराजी का निस्फ हिस्से का ककता था उसके हम वादीगण स. 2 लगायत 4 वारिस है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है।

7. यह है कि बिनाय मुखासमत पटवार कागजात में विवादित आराजी डूलामल पुत्र आबतमल प्रतिवादी स. 2 का इन्द्राजात का इल्म होने से तथा दिनांक 27.09.07 को हल्का पटवारी द्वारा वादीगण का नामन्तकरण दर्ज करने से इंकार करने के कारण तथा हम वादीगण को प्रति द्वारा धमकी देने से स्थिति पैदा हुई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना है कि विवादित आराजी पर वादी स. 1 तथा वादीगण 2 लगायत 4 संयुक्त को वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा रिकार्ड में डूलामल पुत्र आबतमल प्रतिवादी स. 2 के इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त तरीके से वादीगण की खातेदारी दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी किसी प्रकार की कोई मदाखलत मजाहमत ना करने हेतु हुक्म इम्तनाई डिकी से पाबन्द करे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, प्रतिवादी स. 2 की तलबी जरिये अखबार साया से कराई गई बाबजूद कोई भी उपस्थित नही हुये ,इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 1 ने अपना जबाब दावा पेश किया गया। अपने जवाब में वर्णित किया कि विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि है जो स्वतन्त्ता के समय विस्तापितो को धीमकन आंवटन हुआ था जिस पर खातेदारी अधिकार नियमानुसार रकम जमा कर ही दी जा सकती है। तथा गैर खातेदार को विकय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। गैर खातदार डूलामल पुत्र आबातमल जाति सिंधी लावल्द बिला औरत फौत होना बताया गया है। गैर खातेदार की मृत्यु होने पर लावल्द बिला औरत विवादित भूमि सरकारी दर्ज होनी चाहिए। मृतक को खातेदारी नही दी जा सकती है। जिस भूमि पर खातेदारी गैर खातेदारी अधिकार नही है उसकी रिलीजडीड गैर कानूनी है। अत कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार नियमानुसार रकम जमा होने पर ही खातेदारी दी जा सकती है। गैर खातेदार डूलामल को पक्षकार नही बनाया गया है। दावा काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :–

1. आया वादीगण विवादित आराजी हाल ख0न0 1855 रकबा 0.35 है. जिसका साबिक ख0न0 1489 रकवा 1 बी. 8 वि. है पर वादीगण वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।
   –जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादी स. 1 को हुक्मइम्तनाई डिकी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करे।
   – जिम्मेवादीगण
3. आया वादीगण मे से वादी स. 1 व वादीगण स. 2 लगायत 4 के पिता मोती ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र ता0 31.12.74 को दूल्हामल पुत्र आबतमल जाति सिंधी से क्रय की है। तथा तभी से वादीगण विरासतन के आधार पर काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण वा हिस्सा बाराबर खातेदारी की घोषणा विवादित आराजी पर कराने के अधिकारी है।
   – जिम्मेवादीगण
4. आया आराजी कस्टोडियन भूमि है जो नियमानुसार रकम जमा कराकर खातेदारी प्राप्त करी व गैरखातेदार डूलामल को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारिजी के है।
   – जिम्मेवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संवत 2063–66 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श–3, नकल बयनामा फोटोप्रति दिनांक 31.12.1974 प्रदर्श–4, नकल फोटोप्रति रिलीजडीड दिनांक 10.11.2000 प्रदर्श–5, नकल फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मोतीराम प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2035–38 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श–7 तहसील नवलगढ़ पेश की गयी, एवं मौखिक बयान के रूप में मनोहरलाल पुत्र मोती निवासी नगला डिप्टी मजरा पहरसर, लालाराम पुत्र कन्हैयां नगला डिप्टी पहरसर, रामजीलाल पुत्र कुल्लीराम नगला डिप्टी पहरसर पेश किये गये। जिनसे प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी।

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है :–

1. आया वादीगण विवादित आराजी हाल ख0न0 1855 रकबा 0.35 है, जिसका साबिक ख0न0 1489 रकबा 1 बी. 8 वि. है पर वादीगण वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबदी संवत 2063–66 पर प्रतिवादी सं. 2 डूलामल पुत्र आवतमल कौम सिंधी की खातेदारी का अंकन हो रहा है। जिसके साबिक खसरा न. 1479 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से बना है। विवादित आराजी के खसरा न. 1489 का खैराजमल पुत्र तुलसीमल रिकॉर्ड काबिज खातेदार था। जो लाबल्दबिला औरत फौत हुआ। जिसका वारिस डोलामल पुत्र आवतमल प्रतिवादी सं. 2 है, तथा उसकी खातेदारी की आराजी डूलामल पुत्र आवतमल के नाम दर्ज की गयी। डूलामल द्वारा दिनांक 31.12.1974 को विवादित आराजीयात का विक्रयपत्र वादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पिता मोती को विक्रय किया गया। विक्रय पत्र को लगभग 30 वर्ष होने के उपरान्त भी उक्त विवादित आराजी का जमाबंदी संवत 2035–38 में खैराजमल की खातेदारी का अंकन हो रहा है। जबकि वादी का कथन है कि विक्रेता को आराजी खैराजमल से प्राप्त हुयी है, तथा खैराजमल की खातेदारी से पूर्व विक्रेता द्वारा बयनामा संपादित किसे किया गया है, जिसे वादी द्वारा साबित नहीं किया गया, तथा विक्रय पत्र लगभग 2030 के बाद वादीगण द्वारा खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। इतने वर्ष बाद पेश करने का वादीगण द्वारा कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।
2. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 को हुक्मइम्तनाई डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी सं. 1 के विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार कि डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है।

Scanned with CamScanner

3. आया वादीगण मे से वादी स. 1 व वादीगण स. 2 समायत 4 के पिता मोती ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ता0 31.12.74 को दूल्हामल पुत्र आबतमल जाति सिंधी से क्रय की है। तथा तभी से वादीगण विरासतन के आधार पर काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण का हिस्सा बाराबर खातेदारी की घोषणा विवादित आराजी पर कराने के अधिकारी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादीगण के पिता मोती द्वारा द्वारा उक्त आराजी का विक्रय दिनांक 31.12.74 को किया गया परन्तु विक्रेता को आराजी खैराजमल से प्राप्त हुई है तथा खैराजमल की खातेदारी से पूर्व विक्रेता द्वारा बयनामा संम्पादित किस प्रकार किसे कि गयी यह वादीगण साबित नही कर पाये है। अत उक्त तनकी भी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

4. आया आराजी फरस्टोडियन भूमि है जो नियमानुसार रकम जमा कराकर खातेदारी प्राप्त करें व गैरखातेदार डूलामल को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। उक्त विवादित भूमि फरस्टोडियन ना होकर खातेदारी की आराजी है वादीगण द्वारा डूलामल को पक्षकार बनाया गया है। अत उक्त तनकी प्रति के खिलाफ तय कि जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner